

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/01/2018

दायर दिनांक 09.02.2018

उनवान		
मानी	बनाम	भैरू लाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 03.08.2021

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई | वकील प्रार्थी हाजिर | कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त | मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया | प्रार्थीगण द्वारा आ० स० 224 से रास्ता चाहा गया है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसमे विधिवत बटवारा नहीं हुआ है व बटवारा किया जाना आवश्यक है | उक्त प्रकरण 251 'क' आर.टी. एक्ट में स्वयं की खातेदारी आराजियात पर पहुंच हेतु रास्ता अन्य खातेदारी आराजियात से यदि वैकल्पिक मार्ग नहीं हो तो चाहा जाता है | परन्तु प्रकरण में स्वयं की संयुक्त खातेदारी आराजियात से रास्ता चाहा गया है जो 251 'क' के अंतर्गत नहीं आता है | अतः प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो |



(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन

